

Recommendation of DFO

1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 785.49 हे० वन परिक्षेत्र वैदूचन के कक्ष क्रमांक RF 389, RF 390 एवं वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक RF-291, 292, 293, 296, 319, 320, 391, 392 एवं PF-316, PF-317 प्रस्तावित हो रहा है।
2. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 785.49 हे० वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत ई०एम०आई०एल० माईन्स एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड, द्वारा बंधा कोल ब्लॉक को ओपनकास्ट माइनिंग हेतु उपयोग पर दिये जाने का प्रस्ताव है।
3. वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 291, 292, 293, 391 इस मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है।
4. वन मण्डल अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में हाथियों की आवागमन कक्ष क्र० आर.एफ. 291, 292, 293, एवं 391 में नहीं पाया गया।
5. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कॉरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:—
(अ) 2.47 (9)—कॉरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरन्तरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेवर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।
(ब) 2.47 (10)—कॉरीडोर में स्थित कक्षों को यथासंभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तान्तरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।
6. प्रस्तावित वन भूमि 785.49 हे० के उत्तर दिशा में बंधा नार्थ कोल ब्लॉक आवंटित है, उत्तर-पूर्व दिशा में अमिलिया नार्थ कोल ब्लॉक आवंटित है, पूर्व दिशा में अमिलिया कोल ब्लॉक आवंटित है, दक्षिण में क्षत्रशाल कोल ब्लॉक पूर्व से आवंटित है।
7. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुशंसा की जाती है।
8. वन्यप्राणी प्रबंधन प्लान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।
9. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली